न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **240/2025** दायर दिनाँक **30.06.2025**

वादी		**प्रतिवादीगण**
1. घासीराम पुत्र पूर्णाराम जाति माली निवासी रेल्वे स्टेशन के पास छोटीखाटू तहसील छोटीखाटू जिला डीडवाना –कुचामन।	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना 2. प्रहलादराम टाक पुत्र पन्नाराम 3. मोतीराम गहलोत पुत्र रामनारायण गहलोत समस्त जाति माली निवासीगण रेल्वे स्टेशन के पास छोटीखाटू तहसील छोटीखाटू जिला डीडवाना–कुचामन।

दावा बाबत्
किस्म परिवर्तन
अन्तर्गत धारा– 136 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री अल्ताफ हुसैन वकील वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **13.02.2026**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ग्राम रेल्वे स्टेशन छोटीखाटू के स्थायी निवासी है। वादी के आबादी रहवासी मकान के दक्षिण में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का रहवासी मकान है। पुराने खसरा नम्बर 1038 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा वाके सरहद छोटीखाटू की भूमि चांदो वल्द बींजो कौम दरोगा निवासी खाटूखुर्द की खातेदारी की भूमि थी उक्त भूमि के कुछ हिस्से में सघन आबादी बसी हुई थी, जिस आबादी भूमि के संवत् 2002 से पूर्व के पट्टे जारी किये हुए थे तथा पट्टे जारी उक्त आबादी भूमि में अपने परिवार सहित मकान बनाकर निवास करते रहे। इसी भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की खरीदसुदा, कब्जा सुदा रहवासी भूमि रही है। संवत् 2022 में सेटलमेन्ट हुआ तक उक्त खसरा नम्बर 1038 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 1361 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा , खसरा नम्बर 1362 रकबा 01 बीघा, खसरा नम्बर 1363 रकबा 01 बीघा, खसरा नम्बर 1364 रकबा 01 बीघा, खसरा नम्बर 1365 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 1366 [illegible] बीघा 05 बिस्वा बने। जिसमें से खसरा नम्बर 1361 01 बीघा [illegible] आबादी, खसरा नम्बर 1362 रकबा 01 बीघा थाला भू–प्रबंध सेटलमेन्ट संवत् 2017 [illegible] पश्चात् राजस्व अधिकारियों कर्मचरियों ने बिना भौतिक सत्यापन किये, बिना कोई जांच किये संवत् 2022 से 2025 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:27:25 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

खतौनी में खसरा नम्बर 1362 रकबा 01 बीघा भूमि को सरकारी जमीन खालसा श्री सरकार बंजर दर्ज कर दिया।

उक्त भूमि पर वादी के खरीद से पूर्व पट्टाधारी पृथ्वीराज उर्फ भंवरलाल पुत्र उदय किशन सुनार का रहवासी मकान बना हुआ था। जिसका इमारती पट्टा संवत् 2022 का मिति आसोज सुदी 10 का बना हुआ रहा है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का भी इमारती पट्टा बना हुआ जो उक्त भूमि गै.मु.आबादी खसरा नम्बर 1361 व 1362 के रूप में सदैव रही। वादी का वाद केवल मात्र खसरा नम्बर 1362 रकबा 01 बीघा वर्तमान खसरा संख्या 1042 रकबा 0.1600 है. राजस्थान सरकार के नाम दर्ज की किस्म परिवर्तन कर गै. मु.आबादी दर्ज करने की हद तक है।

उक्त भूमि पट्टाधारी द्वारा अणदमल डूंगरवाल पुत्र देबूलाल निवासी छोटीखाटू को जरिये रजिस्टर्ड बैचाण दिनांक 08.08.1985 को बैचाण कर अणदमल को उक्त आबादी जायगा का भौतिक व वास्तविक कब्जा सुपुर्द किया। इसके पश्चात् उक्त आबादी भूमि को जरिये इकरारनामा दिनांक 10.05.2004 को अणदमल के वारीस से वादी ने खरीद की। वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की उक्त पट्टा शुदा आबादी भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 1042 की भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 1043 गै0मु0आबादी के चिपते ही रही है। तथा उक्त भूमि पर प्रारम्भ से ही आबादी के रूप में इस्तेमाल होती है। जिसका संवत् 2017 में खसरा नम्बर 1362 रकबा 01 बीघा थाला के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया। परन्तु राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की गलती से उक्त खसरा नम्बर 1362 को सरकारी जमीन बंजर के रूप में दर्ज कर दिया तथा वर्तमान में राजस्थान सरकार के नाम दर्ज हो जाने से वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के जायज हितो के विपरित होने से उक्त भूमि राजस्थान सरकार के नाम हटाया जाकर किस्म परिवर्तन कर गै.मु.आबादी दर्ज किया जाना न्याय संगत है, जिस हेतु वाद पेश है।

गत खसरा नम्बर 1362 रकबा 01 बीघा भूमि राजस्व अधिकारियों की गलती से सरकारी भूमि बंजर दर्ज की गई तथा उसके पश्चात् खसरा नम्बर 1042 में उक्त भूमि राजस्थान सरकार के नाम दर्ज कर दी। जबकि उक्त भूमि सदैव से आबादी भूमि के नाम से दर्ज रही। जिसमें प्रारम्भ से ही [illegible] पट्टे जारी किये हुए आवासीय उपयोग में लेते रहे है। उक्त भूमि सरकार के नाम दर्ज होने से [illegible] अत्यधिक भारी असुविधा का सामना करना पड रहा है। इस कारण राजस्व अभिलेख में [illegible] की किस्म गै.मु.आबादी दर्ज किया जाना न्याय संगत हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:27:25 IST
Reason: SelfAttested

वादी की प्रार्थना इस प्रकार है कि–

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

वर्तमान खेत खसरा नम्बर 1042 रकबा 0.1600 है. वाके शरहद खाटूखुर्द की किस्म परिवर्तन गै.मु.आबादी राजस्व अभिलेख में दर्ज कर प्रतिवादी संख्या 1 राजस्थान सरकार के नाम खातेदारी हटायी जाकर रेकर्ड दुरूस्त किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 बावजूद सम्मन तामिली अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार छोटीखाटू से जरिये पत्रांक: न्याय/2025/372 दिनांक 08.12.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

तहसीलदार छोटीखाटू से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मौजा खाटूखुर्द के वर्तमान खसरा संख्या 1042 रकबा 0.16 है. किस्म बारानी प्रथम (पुराना खसरा संख्या 1362 रकबा 1 बीघा) जिसमें वर्तमान में मकान बने हुए तथा आबादी बसी हुई है। जमाबंदी संवत् 2005 से 2025 में मौजा खाटू खुर्द के खसरा संख्या 1038 रकबा 14.18 बीघा भूमि किस्म बारानी 2 चांदो वल्द बींजो कौम दरोगा सा. खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। भू–प्रबंध संवत् 2022 से 2025 द्वारा उक्त खसरा नम्बर 1038 के नये खसरा नम्बर 1361 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा , खसरा नम्बर 1362 रकबा 01 बीघा, खसरा नम्बर 1363 रकबा 01 बीघा, खसरा नम्बर 1364 रकबा 01 बीघा, खसरा नम्बर 1365 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 1366 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा बने। जिसमें से खसरा नम्बर 1361 रकबा 01 बीघा गै.मु. आबादी, खसरा नम्बर 1362 रकबा 01 बीघा कि किस्म बारानी अवल मगरा भू–प्रबंध संवत् 2022 से 2025 द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुए। इन्हीं खसरा नम्बर 1361 व 1362 में मौके पर पुराने समय से मकान बने हुए है। वादी के मौजा खाटूखुर्द के खसरा नम्बर 1362 रकबा 1 बीघा जिसका वर्तमान खसरा संख्या 1042 रकबा 0.16 है. है। आस पडौस व मौके पर मौजूद मौतबिरान ने बताया कि वादी का इस भूमि पर काफी लंबे समय से लगातार निवास करना बताया जो आदिनांक तक काबिज है। मौजा खाटूखुर्द के वर्तमान खसरा नम्बर 1042 रकबा 0.16 है. भूमि किस्म बारानी प्रथम व खसरा नम्बर 1043 रकबा 0.19 है. भूमि किस्म गै.मु.आबादी के चिपता है। खसरा नम्बर 1042 व खसरा नम्बर 1043 दोनों में मौके पर आबादी बसी हुई है। वादी के मौजा खाटूखुर्द के खसरा नम्बर 1362 रकबा 01 बीघा किस्म बारानी 2 जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 1042 रकबा 0.16 है. भूमि किस्म बारानी प्रथम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर 1362 भूमि किस्म बारानी 2 चांदो वल्द बींजो कौम दरोगा सा. देह खातेदार जमाबंदी संवत् 2005 से 2025 राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। मौजा खाटूखुर्द के खसरा संख्या 1038 रकबा 14.18 बीघा भूमि किस्म बारानी 2 चांदो वल्द बीजो कौम दरोगा सा0 देह खातेदार के नाम जमाबंदी संवत् 2005 से 2025 में दर्ज थी। खेतट खतौनी संवत् 2022 से 2025 में राजस्थान सरकार (क) सरकारी जमीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:27:25 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

सिवायचक खालसा श्री सरकार अलावा जो काबिल काश्त (घ) बंजर खसरा नम्बर 1362 रकबा 1 बीघा किस्म बारानी अवल मगरा दर्ज किया हुआ है।

प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दौराने बहस बताया कि पुराने खसरा नम्बर 1038 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा वाके सरहद छोटीखाटू की भूमि चांदो वल्द बींजो कौम दरोगा निवासी खाटूखुर्द की खातेदारी की भूमि थी। संवत् 2022 में सेटलमेन्ट से उक्त खसरा नम्बर 1038 के नये खसरा नम्बर 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366 बने। जिनमें 1361 रकबा 01 बीघा गै. मु.आबादी, खसरा संख्या 1362 रकबा 01 बीघा किस्म बारानी अवल मगरा भू–प्रबंध संवत् 2022 से 2025 द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुए। इन्ही खसरा नम्बर 1361 व 1362 में मौके पर पुराने समय से मकान बने हुए है। उक्त भूमि पर वादी के खरीद से पूर्व पट्टाधारी पृथ्वीराज उर्फ भंवरलाल पुत्र उदय किशन सुनार का रहवासी मकान बना हुआ था। जिसका इमारती पट्टा संवत् 2022 का मिति आसोज सुदी 10 का बना हुआ रहा है। उक्त भूमि पट्टाधारी द्वारा अणदमल डूंगरवाल पुत्र देबूलाल निवासी छोटीखाटू को जरिये रजिस्टर्ड बैचाण दिनांक 08.08.1985 को बैचाण कर अणदमल को उक्त आबादी जायगा का भौतिक व वास्तविक कब्जा सुपुर्द किया। इसके पश्चात् उक्त आबादी भूमि को जरिये इकरारनामा दिनांक 10.05.2004 को अणदमल के वारीस से वादी ने खरीद की। राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की गलती से उक्त खसरा नम्बर 1362 को सरकारी जमीन बंजर के रूप में दर्ज कर दिया तथा वर्तमान में राजस्थान सरकार के नाम दर्ज हो जाने से वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के जायज हितो के विपरित होने से उक्त भूमि राजस्थान सरकार के नाम हटाया जाकर किस्म परिवर्तन कर गै.मु.आबादी दर्ज किया जाना न्याय संगत है।

उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। तहसीलदार छोटीखाटू, रेकर्ड एवं विधि का अवलोकन किया। वर्तमान खेत खसरा नम्बर 1042 रकबा 0.1600 है. वाके शरहद खाटूखुर्द की किस्म परिवर्तन गै.मु.आबादी राजस्व अभिलेख में दर्ज कर प्रतिवादी संख्या 1 राजस्थान सरकार के नाम खातेदारी हटायी जाकर रेकर्ड दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ कर रहा है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान खसरा संख्या 1042 की वर्तमान किस्म बारानी अवल है जिसके गत खसरा नम्बर 1038 की किस्म बारानी 2 होना अंकित है। भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत लिपिकीय गलतियों एवं सेटलमेंट से हुई गलतियों को शुद्ध किये जाने का प्रावधान है। तहसीलदार रिपोर्ट ... के अवलोकन के दौरान उक्त भूमि की किस्म गै.मु.आबादी होना कभी अंकित नहीं ... है। अतः उक्त भूमि की किस्म में किसी प्रकार की त्रुटी प्रतीत नहीं होती है। अतः वादी की भूमि की किस्म के गलत अंकन के कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः वाद का वाद खारीज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:27:25 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

–:: आदेश ::–

वाके शरहद खाटूखुर्द वर्तमान खेत खसरा नम्बर 1042 रकबा 0.1600 है. की किस्म परिवर्तन गै.मु.आबादी राजस्व अभिलेख में दर्ज कर प्रतिवादी संख्या 1 राजस्थान सरकार के नाम खातेदारी हटायी जाकर रेकर्ड दुरूस्त करवाने का हस्तगत वाद खारीज किया जाता है।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **13.02.2026** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:27:25 IST
Reason: SelfAttested